राज्य सेक्टर/आयोजनागत /पुर्नविनियोग
संख्या– 404 /लो.नि.2/03–23 (बजट) /2003

प्रेषक,

टी.के.पन्त,
संयुक्त सचिव ,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 25 मार्च /2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2003–04 मे निर्माणाधीन मार्ग (राज्य सेक्टर) कार्यो हेतु पुर्नविनियोग द्वारा धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–907/लो.नि.2/2003–23 (बजट)/03 दिनांक 12–6–2003,शासनादेश संख्या–1709/लो.नि.–2/03–23 (बजट)/2003 दिनांक 27–9–2003 एवं शासनादेश संख्या 55/लो.नि.–2/03–23 (बजट) /2003 दिनांक 3.2.2004 एवं संख्या–291/लो.नि.–2/04–23 (बजट)2003 टी.सी. दिनांक 28–2–2004 के क्रम मे आपके पत्र संख्या–4050/01 बजट (राज्य सैक्टर)/2003–04 दिनांक 23.2.2004 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है,कि उक्त वर्णित शासनादेशो द्वारा अवमुक्त कुल धनराशि रू0 5695.00 लाख के अतिरिक्त निम्नलिखित मदो की बचतो से पुर्नविनियोग द्वारा **रू0 1066.35 लाख (रू0 दस करोड छियालीस लाख पैतीस हजार मात्र)** की धनराशि का व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

क्रम सं.	मद का नाम	बजट प्राविधान लाख रू0 मे	पुर्नविनियोग मे प्रस्तावित धनराशि लाख रू0 मे ।
1	2	3	4
1.	उपकरण एवं संयन्त्र का क्रय	600.00	600.00
2.	बाढ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गो का पुनः निर्माण	50.00	50.00
3.	कोनिक स्लिप जोन के उपचार हेतु व्यवस्था	50.00	8.00
4.	सडक / भवन /सेतु प्रतिकर	400.00	200.00
5.	चालू सेतु कार्य(राज्य सेक्टर)	1200.00	208.35
	योगः–	**2300.00**	**1066.35**

2. संलग्न बी.एम.–15 के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतो से व्यावर्तित करने के पश्चात इस वित्तीय वर्ष मे उपरोक्त मद मे कुल रू0 6731.35 लाख (रू0 सडसठ करोड इक्तीस लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु उपलब्ध हो जाती है ।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का सी.सी. एल. के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा,यह सुनिशिचत कलिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का कार्यवार/खण्डवार आबंटन ऐसी चालू योजनाओ पर शासन की सहमति के प्रथमतः किया जायेगा,जिनमे 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया हो। जिन खण्डो मे 75 प्रतिशत या उससे अधिक के कार्य अवशेष नही है, उन खण्डो मे 50 प्रतिशत से अधिक के कार्य किये जायेगे । कार्यवार,खण्डवार आबंटन कर संकलित प्रस्ताव शासन को एक सप्ताह मे उपलब्ध कराया जायेगा ।

4. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्व अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाय । कार्यो पर व्यय लोक निर्माण विभाग के मानक के विषय मे शासनादेश के अनुरूप ही किया जायेगा ।

5. व्यय करने से पूर्व जिन मामालो मे बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय,निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय

6. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होगे ।

7. स्वीकृति के एक माह के अन्दर अब तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत कार्यो का विवरण एवं वित्तीय तथा भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा । वर्ष 2003-04 मे स्वीकृत धनराशि के विपरीत कार्यो का विवरण व भौतिक प्रगति माह अप्रेल 2004 के प्रथम सप्ताह मे उपलब्ध करा दी जायेगी ।

8. उक्त स्वीकृत धनराशि का कार्यवार आबंटन कर वित्तीय /भौतिक लक्ष्यो का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

9. इस संबध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-04 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-22 लेखा शीर्षक-5054 सडको एवं सेतुओ पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सडके-आयोजनागत-800 अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर-01 चालू निर्माण कार्य-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या- 3198/वित्त अनुभाग-3/2004 दिनांक 20 मार्च 2004 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(टी०के० पन्त)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-4५५ (1) /लो.नि.2/03 तद्‌दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद
2- आयुक्त कुमाऊ मण्डल नैनीताल/पौडी
3- समस्त जिलाधिकारी /कोषाधिकारी,उत्तरांचल
4- मुख्य अभियन्ता गढवाल/कुमाऊ क्षेत्र,लो.नि.वि.,पौडी/अल्मोडा
5- वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून/नैनीताल ।
7- लोक निर्माण अनुभाग-1,उत्तरांचल शासन
8- श्री एल.एम. पन्त,अपर सचिव,बजट अनुभाग ।
9- निजी सचिव ,मा. मुख्य मंत्री जी को मा. मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित
10- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(टी०के०पन्त)
संयुक्त सचिव ।

R-s-joshi-txt

उत्तरांचल शासन,
वित्त विभाग अनुभाग–3
संख्या–3198 क/वित्त अनुभाग–3/2003
देहरादून, दिनांक, 20 मार्च–2004

पुर्नविनियोग स्वीकृत

(के0सी0 मिश्र)
अपर सचिव ।

सेवामे,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तरांचल,इलाहाबाद/देहरादून ।

संख्या–404 /लो.नि.2/2003–23(बजट)/2003 दिनांक 25 मार्च 2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,वित्त,उत्तरांचल शासन,देहरादून ।
2– मुख्य अभियन्ता स्तर–1,लोक निर्माण विभाग,देहरादून ।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
4– वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
5– गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।

उत्तरांचल शासन,
वित्त विभाग अनुभाग–3
संख्या–3198 क/वित्त अनुभाग–3/2003
देहरादून, दिनांक, 20 मार्च–2004

पुर्नविनियोग स्वीकृत

(के0सी0 मिश्र)
अपर सचिव ।

सेवामे,

वरिष्ठ कोषाधिकारी,
देहरादून ।

संख्या– 404 /लो.नि.2/2003–23(बजट)/2003 दिनांक 25 मार्च 2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,वित्त,उत्तरांचल शासन,देहरादून ।
2– मुख्य अभियन्ता स्तर–1,लोक निर्माण विभाग,देहरादून
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
4– वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
5– गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव

पुर्नविनियोग 2003–2004

आय–व्ययक प्रपत्र–15 पुर्नविनियोग 2003–2004 (धनराशि हजार रूपये मे) (अयोजनागत)

नियन्त्रक अधिकारी,मुख्य अभियन्ता स्तर–1,लोक निर्माण विभाग,प्रशासनिक विभाग,लोक निर्माण विभाग,उत्तरांचल शासन ।

अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक

क्रम सं0	बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण ।	मानक मदवार अध्याव –धिक व्यय माह12 /03 तक	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि हेतु अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1मे अवशेष धनराशि ।
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5054–सडको तथा सेतुओ पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत 03–राज्य मार्ग 101–पुल 03 पुलो का निर्माण एवं सुदृढीकरण 00–24 वृहत निर्माण कार्य– 120000	34700	64465	20835	5054–सडको तथा सेतुओ पर पूजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडके आयोजनागत कमश –800 अन्य व्यय –03राज्य सेक्टर–01 चालू निर्माण कार्य–24–वृहत निर्माण कार्य 106635	673135	99165
	052–मशीनरी तथा उपस्कर 04–उपकरणएवं संयन्त्र कय 00– 26–मशीनेऔर सज्जा / उपकरण और संयन्त्र–60000		शून्य	60000			शून्य
	04–जिलातथा अन्य सडके–800–अन्य	–					

व्यय–05 सडक/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण–00–24 वृहत्त निर्माण कार्य 40000	–	20000	20000			20000
06–बाढ व भूस्खलनों से क्षतिग्रस्त मार्गो कापुर्ननिर्माण00–24–वृहत्त निर्माण कार्य 5000	–	शून्य	5000			शून्य
07–कोनिक स्लिप जोन के उपचार हेतु व्यवस्था–00–24–वृहत्त निर्माण कार्य 5000	–	4200	800			4200
230000	34700	88665	106635	106635	673135	123365

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग मे बजट(मैनुअल के परिच्छेद 150–156 मे उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लंघन नही होता है।

(के.सी. मिश्र)
अपर सचिव वित्त

(टी.के.पन्त)
संयुक्त सचिव ।

R-c-joshi-wroo3 tmp

NIC 103